न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 117/2015

1 मालीराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी नूनिया गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
2 ताराचन्द पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी नूनिया गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
3 सरबती पुत्री स्व. लिछमण
4 सत्यवती पुत्री स्व. लिछमण
5 किस्तुरी पुत्री स्व. लिछमण
6 मुन्नी पुत्री स्व लिछमण
7 सरोज पुत्री स्व. लिछमण
जाति जाट निवासीगण अजीतपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नाहरसिंह पुत्र मालाराम जाति जांगिड़ निवासी अजीतपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
2 सजनलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
3 दाताराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4 शिवनाथ पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू – दौराने अपील मृतक
4/1 बिमला स्त्री स्व. शिवनाथ जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

4/2 सरोज पुत्री स्व. स्वनाथ जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4/3 विजय कुमार पुत्र स्व. शिवनाथ जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4/4 आशा स्त्री स्व. धर्मवीर जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4/5 श्वेता पुत्री स्व. धर्मवीर जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4/6 स्नेहा पुत्री स्व. धर्मवीर जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
5 मृतक फुलसिंह पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
5/1 सजना स्त्री स्व. फुलसिंह जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
5/2 सुनिल कुमार पुत्र स्व. फुलसिंह जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
5/3 संदीप कुमार पुत्र स्व. फुलसिंह जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
5/4 अनिल कुमार पुत्र स्व. फुलसिंह जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
6 मु. जेता स्त्री स्व. मौजीराम जाति जाट निवासी अजीतपुरा तसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 21.09.2015 अबदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी नाहर सिंह बनाम सजनलाल वगै. मु.नं. 209/2014 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 209/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 64, 65, 66 का

पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह की सह खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 66 में आने जाने के लिये कम दुरी का वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। माननीय अदालत हाजा द्वारा सक्षम न्यायालय को प्रकरण प्रति प्रेषित करने के बाद पुनः दोनों पक्षकारों की मौजुदगी में मौका रिपोर्ट मंगवाने के लिये दिनांक 19.02.2015 को तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया है तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 9 से 13 की तलबी हेतु आदेशित किया, विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में मौके पर तहसीलदार या नायब तहसीलदार रैंक का अधिकारी मौके पर नहीं जाकर सिर्फ लैण्ड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर मौके पर जाकर दिनांक 10.04.2015 को मौके की रिपोर्ट बनाई है। उसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह की मांग के विपरित उसके खेत हाल खसरा नम्बर 66 में आने जाने के लिए कम दुरी का वैकल्पिक रास्ता दर्शित किया है। अपने मौका रिपोर्ट में जो नजरी नक्शा बनाया है उसमें वर्णित बिन्दु बी से सी प्रचलित रास्ता बताया है। उक्त बी से सी प्रचलित रास्ता से दक्षिण दिशा में डी से ई हाल खसरा नम्बर 36 की पश्चिमी दिशा में 168 मीटर लम्बा ई से जी 50 मीटर लम्बा तथा खसरा नम्बर 53 व 52 की पश्चिमी दिशा से खेत खसरा नम्बर 66 तक कम दुरी का वैकल्पिक रास्ता बताया है। जमीन हाल खसरा नम्बर 52 व 53 का रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह 0.33 हैक्टेयर का सह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को प्रचलित रास्ता बी से सी से हाल खसरा नम्बर 36 की पश्चिमी दिशा डी से ई 168 मीटर लम्बा रास्ता व खसरा नम्बर 36 की दक्षिणी दिशा बिन्दु एफ से जी 50 मीटर लम्बा इस प्रकार कुल 218 मीटर लम्बा रास्ता रेस्पोडेन्ट को अगर दिया जाता है तो वह अपने खातेदारी के खेत में पहुंच सकता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपने खेत खसरा नम्बर 52, 53, 66 में उतर दिशा का नजदीकी रास्ता डी से ई व ई से जी मिलने पर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधि.
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

आराम से आवागमन कर सकता है। इस प्रकार अपीलांट के कथनानुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के लिये रिपोर्ट दिनांकित 10.04.2015 में बिन्दु डी से ई व ई से जी वैकल्पिक नजदीकी रास्ता मौजुद है। विचारण न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट दिनांकित 10.04.2015 पेश होने पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह के वकील ने उपरोक्त रिपोर्ट पर दिनांक 05.05.2015 को एतराज पेश किया तथा मौके की पुनः रिपोर्ट मंगवाने के लिये निवेदन किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.08.2015 को तहसीलदार चिड़ावा को पुनः मौका जांच हेतु निर्देशित किया। जिस पर दिनांक 31.08.2015 को मौके की पुनः रिपोर्ट बनाई गई। जिसमें पूर्व मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.04.2015 के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 66 में आने जाने के लिये प्रचलित रास्ता बिन्दु बी से सी बिन्दु डी से जी से नजदीकी रास्ता की रिपोर्ट की है। उक्त रिपोर्ट विचारण न्यायायल के समक्ष दिनांक 31.08.2015 को प्राप्त हुई जिस पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह ने कोई एतराज नहीं किया इस प्रकार विचारण न्यायालय हाजा द्वारा निर्देशित प्रावधानों के मुताबिक विचारण न्यायालय ने कम दुरी के रास्ते के लिये तहसीलदार चिड़ावा ने मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई है दोनों मौका जांच रिपोर्ट में तहसीलदार ने लिखा है कि खसरा नम्बर 66 में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 36 की पश्चिमी दिशा के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। विचारण न्यायालय ने ग्राम नुनियां गोठड़ा के जोहड़ से अपीलांट नम्बर 1 व 2 के कब्जे व स्वामित्व के खेत खसरा नम्बर 343 तक बिन्दु ए से बी के बीच की जमीन के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया। कानून से जिस जमीन में से कोई भी न्यायालय अगर रास्ता कायम करता है तो प्रभावित खातेदारों को सुनना कानूनन आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक पारित नहीं किया विचारण न्यायालय ने कानूनी रूप से निर्णय जैर बहस स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय के द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 05.06.2013 को यथावत रखा है। जिसमें खसरा नम्बर 341 व 343 में से रास्ता कायम करने का आदेश है। खसरा नम्बर 341 व 343 की कुल लम्बाई 228

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मीटर लम्बाई है जबकि खसरा नम्बर 36 में से रास्ते की लम्बाई मात्र 218 मीटर लम्बाई है। फिर भी खसरा नम्बर 66 के उतरी दिशा का कम दुरी का वैकल्पिक रास्ता रेस्पोड़ेन्ट के लिये उपलब्ध है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तहसीलदार चिड़ावा की पूर्व रिपोर्ट की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 17.09.2012 में बिन्दु बी से डी प्रस्तावित रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 343 से आगे 342/1 व 342/2 के खातेदारों ने भी मांग की है जिनकी दूरी बिन्दु बी से 70 मीटर लम्बाई है। भूमि खसरा नम्बर 68 के खातेदारो ने भी रास्ते की मांग की है। जिनकी दूरी खसरा नम्बर 342/1 व 342/2 में 176 मीटर लम्बाई तथा 342/1 से आगे खसरा नम्बर 341 की दक्षिणी व पूर्वी सींव से 158 मीटर लम्बाई है कुल 176 + 158 = 334 मीटर लम्बाई का रास्ता होता है। उसके बाद भूमि खसरा नम्बर 66 के खातेदार को रास्ता दिया जाता है तो खसरा नम्बर 68 में से 26 वर्गमीटर लम्बाई का रास्ता बनता है। खसरा नम्बर 341 के खातेदार उपस्थित नहीं आये परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट के अवलोकन से सिद्ध होता है कि खसरा नम्बर 341 के खातेदारों के भी मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उनको भी रास्ते की आवश्यकता है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 343 से आगे पहले 342/1 व 342/2 के खातेदारों को रास्ता दिया जाना है बाद में भूमि खसरा नम्बर 68 के खातेदारों को रास्ता दिया जाता है और बाद में आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 66 को रास्ता दिया जाता है तो उक्त रास्ते की दूरी 70 + 176 + 158 + 26 = 430 मीटर रास्त की लम्बाई होती है। जिसमे से आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 66 से पूर्व भूमि खसरा नम्बर 342/1, 342/2 व 341 तथा 68 को रास्ता दिया जाता है तो इनकी दूरी कम करते हुये भूमि खसरा नम्बर 343 में से केवल मात्र 70 मीटर लम्बाई का रास्ता ही बनता है। चूकि अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 द्वारा अपनी भूमि हेतु पक्ष रखा जा रहा है वह भूमि महकमा कस्टोडियन सिवायचक भारत सरकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

के नाम से है अप्रार्थीगण स 7 व 8 इसमें प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार होने पर पक्षकार बनाये गये है। भूमि खसरा नम्बर 66, 67, 342/1, 342/2 के खातेदार पूर्व से ही इसी कदीमी रास्ते से आवागमन भी करते रहे है। पूर्व रिपोर्ट दिनांक 17.09.2012 में दर्शाये गये प्रचलित रास्ते को चालू दिखाया गया जिसकी दूरी 305 मीटर बताई परन्तु तहसीलदार चिड़ावा की पुनः रिपोर्ट में उक्त प्रचलित रास्ता बिन्दु ए से बी पगडंडी बताई है। चूंकि उक्त प्रचलित रास्ते को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने भी प्रचलित रास्ता माना है उक्त को विद्यमान भी बताया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017(2) पेज 980, आरआरटी 2018–19(सप्ली.) पेज 511, आरआरटी 2018(2) पेज 1193, आरआरटी 2019(1) पेज 574 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह की सह खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 66 में आने जाने के लिये कम दुरी का वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। इस न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय को प्रकरण प्रति प्रेषित करने के बाद पुनः दोनों पक्षकारों की मौजुदगी में मौका रिपोर्ट मंगवाने के लिये दिनांक 19.02.2015 को तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया है तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 9 से 13 की तलबी हेतु आदेशित किया, विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में मौके पर तहसीलदार या नायब तहसीलदार रैंक का अधिकारी मौके पर नहीं जाकर सिर्फ लैण्ड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर मौके पर जाकर दिनांक 10.04.2015 को मौके की रिपोर्ट बनाई है। उसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह की मांग के विपरित उसके खेत हाल खसरा नम्बर 66 में आने जाने के लिए कम दुरी का वैकल्पिक रास्ता दर्शित किया है। अपने मौका रिपोर्ट में जो नजरी नक्शा बनाया है उसमें वर्णित बिन्दु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बी से सी प्रचलित रास्ता बताया है। उक्त बी से सी प्रचलित रास्ता से दक्षिण दिशा में डी से ई हाल खसरा नम्बर 36 की पश्चिमी दिशा में 168 मीटर लम्बा ई से जी 50 मीटर लम्बा तथा खसरा नम्बर 53 व 52 की पश्चिमी दिशा से खेत खसरा नम्बर 66 तक कम दुरी का वैकल्पिक रास्ता बताया है। जमीन हाल खसरा नम्बर 52 व 53 का रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह 0.33 हैक्टेयर का सह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को प्रचलित रास्ता बी से सी से हाल खसरा नम्बर 36 की पश्चिमी दिशा डी से ई 168 मीटर लम्बा रास्ता व खसरा नम्बर 36 की दक्षिणी दिशा बिन्दु एफ से जी 50 मीटर लम्बा इस प्रकार कुल 218 मीटर लम्बा रास्ता रेस्पोडेन्ट को अगर दिया जाता है तो वह अपने खातेदारी के खेत में पहुंच सकता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपने खेत खसरा नम्बर 52, 53, 66 में उतर दिशा का नजदीकी रास्ता डी से ई व ई से जी मिलने पर आराम से आवागमन कर सकता है। इस प्रकार अपीलांट के कथनानुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के लिये रिपोर्ट दिनांकित 10.04.2015 में बिन्दु डी से ई व ई से जी वैकल्पिक नजदीकी रास्ता मौजुद है। विचारण न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट दिनांकित 10.04.2015 पेश होने पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह के वकील ने उपरोक्त रिपोर्ट पर दिनांक 05.05.2015 को एतराज पेश किया तथा मौके की पुनः रिपोर्ट मंगवाने के लिये निवेदन किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.08.2015 को तहसीलदार चिड़ावा को पुनः मौका जांच हेतु निर्देशित किया। जिस पर दिनांक 31.08.2015 को मौके की पुनः रिपोर्ट बनाई गई। जिसमें पूर्व मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.04.2015 के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 66 में आने जाने के लिये प्रचलित रास्ता बिन्दु बी से सी बिन्दु डी से जी से नजदीकी रास्ता की रिपोर्ट की है। उक्त रिपोर्ट विचारण न्यायायल के समक्ष दिनांक 31.08.2015 को प्राप्त हुई जिस पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नाहरसिंह ने कोई एतराज नहीं किया इस प्रकार विचारण न्यायालय हाजा द्वारा निर्देशित प्रावधानों के मुताबिक विचारण न्यायालय ने कम दुरी के रास्ते के लिये तहसीलदार चिड़ावा ने मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई है दोनों मौका जांच रिपोर्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

में तहसीलदार ने लिखा है कि खसरा नम्बर 66 में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 36 की पश्चिमी दिशा के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। विचारण न्यायालय ने ग्राम नुनियां गोठड़ा के जोहड़ से अपीलांट नम्बर 1 व 2 के कब्जे व स्वामित्व के खेत खसरा नम्बर 343 तक बिन्दु ए से बी के बीच की जमीन के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया। कानून से जिस जमीन में से कोई भी न्यायालय अगर रास्ता कायम करता है तो प्रभावित खातेदारों को सुनना कानूनन आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक पारित नहीं किया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में धारा 251 ए के प्रावधानों की पालना में तहसीलदार स्वयं से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई लघुत्तम रास्ता प्रदान करने के संदर्भ में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)